न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :— राजकुमार चौधरी
नियमित जमानत आवेदन संख्या 103/2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या 23/2025

विक्की कुमार, पिता—समरनाथ प्रसाद, उम्र करीब 29 वर्ष,
सभी साकिन—न्यू बाईपास, थाना—बख्तियारपुर, जिला—पटना..आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार .... विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :— श्री संजय कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :— मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

11.03.2026 काराधीन आवेदक अभियुक्त विक्की कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद अथमलगोला थाना कांड संख्या 23/2025, अंतर्गत धारा 25(1-B)(a), 26, 35 Arms Act से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 19.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि पूर्व में आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन इसी न्यायालय से खारिज हुआ था। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन कथानक असंभव एवं असत्य है। जिस प्रकार की घटना औपचारिक प्राथमिकी में कही गयी है, उस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। प्राथमिकी के अनुसार एकमात्र पिस्तौल गाड़ी से बरामद किया गया है, आवेदक के पास से बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है तथा बरामदगी की बात झूठी एवं बनावटी है। सत्यता यह है कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गाड़ी को रूकने का ईशारा किया और चालक के द्वारा गाड़ी को रोका गया परन्तु रोकने पर पुलिस से कुछ दूरी पर गाड़ी आगे बढ़ गयी थी, जिसके कारण आवेदक अभियुक्त को पुलिस पदाधिकारी के द्वारा झुठा फंसा दिया गया। आवेदक अभियुक्त को बिना किसी कानुनी सबूत के जेल में रखा गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से कुल—6 आपराधिक मामले लंबित हैं। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक ओंकार नाथ राय पु0अ0नि0 अथमलगोला थाना है। इन्होंने टंकित आवेदन थानाध्यक्ष अथमलगोला को दिया है, जिसमें इनका कथन है कि दिनांक 22.01.2025 को समय करीब 12:30 बजे अपराह्न में सशस्त्रबल के साथ थाना से विधि व्यवस्था ड्यूटी एवं वाहन चेकिंग हेतु प्रस्थान किया तथा समय 13:15 बजे ग्राम फुलेलपुर अवस्थित न्यू फोरलेन से ग्राम फुलेलपुर की ओर जाने वाली सड़क पर वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग के कम में एक काला रंग का महिन्द्रा थार चार चक्का वाहन रजि0 नं0 BR01HL 5594 आता हुआ दिखायी दिया, जिसे जांच हेतु रुकवाया गया तो उक्त वाहन के रुकते ही वाहन से एक व्यक्ति निकलकर भागने लगा, जिसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बगीचा एवं झाड़ी का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। उसके उपरांत वाहन पर सवार तीन व्यक्तियों को अपने कब्जे में लेकर बार—बारी से पूछताछ किया तो चालक के द्वारा अपना नाम ज्वाला कुमार एवं अन्य ने अपना नाम सोनु कुमार तथा प्रिंस राज बताया तथा तीनों से भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उन्होंने भागने

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :— राजकुमार चौधरी
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 103 / 2026</u>
अथमलगोला थाना कांड संख्या 23 / 2025

लगातार
11.03.2026 वाले के रुप में विक्की कुमार का नाम बतलाया। वहां के राहगीर से स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया परन्तु कोई व्यक्ति साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं हुये। तदोपरांत सशस्त्रबल के ही मुकेश कुमार एवं मनीष कुमार को स्वतंत्र साक्षी मानकर विधिवत तलाशी का नियम 12.02.24 का पालन करते हुए तलाशी लेना प्रारंभ किया तो उक्त गाड़ी के चालक सीट के पीछे मैट के नीचे छिपाकर रखा एक पीला रंग का गमछा में लपेटा हुआ एक काला रंग का पिस्टल मैगजीन लगा एवं सफेद रंग के प्लास्टिक की थैली से लपेटा हुआ एक मैगजीन बरामद हुआ। पिस्टल को अनलोड करने पर खोखा बरामद किया गया। पकड़ाये व्यक्ति से पिस्टल एवं दो मैगजीन का कागजात मांगने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। चालक ज्वाला कुमार स्वीकार किये कि उक्त गाड़ी का मालिक वह स्वयं हैं। जप्त आग्नेयास्त्र एवं गाड़ी को विधिवत जप्त किया एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। कांड दैनिकी की छायाप्रति संलग्न है। कांड दैनिकी के कंडिका—2 में जप्ती सूची का वर्णन है। कंडिका—4 में वादी का बयान अंकित किया गया है। कंडिका—8, 9, 13 एवं 14 में साक्षी का बयान लिया गया है, जिन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किया है। कंडिका—41 में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी महोदय बाढ़—2 का पर्यवेक्षण टिप्पणी है, जिसमें घ टना को प्रथम दृष्टया सत्य मानकर अनुसंधान किया जा रहा है। कंडिका— 67 एवं 68 में आवेदक अभियुक्त के सी0डी0आर0 का अवलोकन किया गया, परन्तु अभियुक्तों के बीच कोई बातचीत नहीं है। जमानत आवेदन के कंडिका—3 में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कुल—6 आपराधिक इतिहास का उल्लेख है, जबकि कांड दैनिकी के कंडिका—80 में एक आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है। कंडिका—92 में अभियुक्त ज्वाला कुमार उर्फ उज्ज्वल कुमार, सोनु कुमार एवं प्रिंस राज के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है, जबकि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। कांड दैनिकी में स्वतंत्र साक्षियों का उल्लेख नहीं हैं। आवेदक अभियुक्त दिनांक 19. 01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस वाद में सह अभियुक्त ज्वाला कुमार, सोनु कुमार एवं प्रिंस राज को नियमित जमानत आवेदन सं0 <u>84 / 2025</u> दिनांक 12.02.2025 से जमानत दिया गया है। आवेदक अभियुक्त पर लगाये गये आरोप भी समान प्रकृति के हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार के पश्चात न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त विक्की कुमार को नियमित जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ। आवेदक अभियुक्त विक्की कुमार का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000 रूपये का शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित / शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़